RAJYA SABHA

Thursday the 14th August 2003/23 Sravana 1925 *(Saka)*

THE HOUSE MET AT ELEVEN OF THE CLOCK

MR. CHAIRMAN IN THE CHAIR

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग

*341. **श्रीमती सविता शारदा:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोने के आभूषणों में अन्य धातुओं की मिलावट किए जाने के परिणामस्वरुप उपभोक्ताओं को हो रही भारी हानि को देखते हुए सरकार का सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री(श्री शरद यादव): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क)से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के अनुरोध पर स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग स्कीम अप्रैल, 2000 में शुरु की थी। हॉलमार्किंग स्कीम का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे गए स्वर्णाभूषणों की शुद्धता के प्रति आश्वस्त करना है। हॉलमार्किंग स्कीम स्वैच्छिक स्कीम है और इसका प्रचालन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत किया जा रहा है। स्कीम के तहत पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि भारतीय मानक आई एस: 1417 की शुद्धता संबंधी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन हो रहा है, तत्पश्चात जौहरी (खुदरा विक्रेता/विनिर्माता/थोक विक्रेता) को लाइसेंस जारी किया जाता है।

Hallmarking of gold ornaments

† *341.SHRIMATI SAVITA SHARDA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal for hallmarking of gold

† Original notice of the question was received in Hindi.

ornaments in view of heavy loss to consumers as a result of mixing of other metals in gold ornaments;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, by when a final decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Hallmarking Scheme of Gold Jewellery was launched by Bureau of Indian Standards (BIS) in April, 2000, on the request of Reserve Bank of India, Government of India. The principal objectives of the Hallmarking Scheme are to ensure that the common consumer is assured of the purity of gold jewellery purchased by him. Hallmarking Scheme is voluntary in nature and is being operated under the BIS Act, 1986. As per the scheme, licence is granted to jeweller (retailer/ manufacturer/wholesaler), after ensuring that all the requirements of Indian Standard IS: 1417 for purity are being complied with.

श्रीमती सविता शारदाः सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि भारतीय मानक आईएसः1417 की शुद्धता संबंधी सभी अपेक्षाओं का पालन कराया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रतिशत गहनों में खोट पाया गया है और अप्रैल, 2000 की स्कीम आरम्भ किए जाने के बाद अब तक किए गए हॉलमार्किंग का ब्यौरा क्या है?

श्री शरद यादवः सभापति जी, वैसे जवाब तो हमने सविता जी के हाथ में दिया है। वह हॉलमार्किंग अभी स्वेच्छा से है। अभी पूरे देश में गोल्ड का कंजमशन प्रति वर्ष 800 टन है, जिसमें जेवरात पर 600 टन है। अब इसमें 11 परसैंट के बराबर यदि मिलावट हो तो करीब 3,000 करोड़ रुपए की मिलावट हो जाती है और 1 से लेकर 38 परसेंट तक मिलावट हो तो 9,000 करोड़ का मामला बन जाता है। हमने जो लाइसैंस दिए हैं, वह 581 दिए हैं, जिन्हें स्वेच्छा से लोगों ने लिया है। हॉलमार्किंग के सैंटर्स 13 हैं। अभी जो इंतजाम है, वे मुकम्मिल नहीं है। इसके लिए हमने एक कमेटी अपने सचिव की अध्यक्षता में बनाई है, जो अगले दो महीनों में हमको रिपोर्ट देगी। यह मामला बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि इस देश के लोग सोने को एक तरह से अपनी सुरक्षा के रुप में मानते हैं। यह इस देश की जनता का सदियों पुराना स्वभाव है कि सोना उनके लिए एक तरह से एक सुरक्षा है और मैं सोचता हूं कि शायद दुनिया में हमारा देश ही अकेला ऐसा देश है जहां के लोग सोने में अपनी सुरक्षा देखते हैं।

श्री सभापतिः आप कितने सुराक्षित हैं?

श्री शरद यादवः देशभर में करीब 3,00,000 सर्राफ हैं। यह देश दस्तकारों और कारीगरों का देश है और यही एक ऐसा धंधा या उद्योग है जिसमें बड़े पैमाने पर आज भी कारीगर काम करते हैं, **बेकार** और बेरोजगार नहीं हुए हैं। हॉलमार्किंग का सोना ठीक मिले, दुरुस्त मिले, 22-23 कैरेट का मिले, इसके लिए बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्राक्चर चाहिए, इसको लागू करने के लिए बहुत सावधानी की जरुरत है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस उद्योग-धंधे में कारीगर या सुनार लोग लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को देखकर इस दिशा में हमने कदम उठाने का विचार किया है, लेकिन हम ये कदम इस तरह से उठाएंगे जिससे कि मुकम्मिल तौर पर यह धंधा भी बचे और लोग जो सोना खरीदते हैं, उन्हें वह सोना भी ठीक-ठाक मिले। ऐसी हमारी योजना है।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, मंत्री जी ने बताया कि पूरे देश में सिर्फ 13 सैंटर्स है। तो हॉलमार्किंग के गहने बेचने को अनिवार्य करने के लिए और पूरे देश में और सैंटर्स खुलें और अनिवार्य रुप से हॉलमार्किंग वाले गहने ही बेचे जाएं, क्या ऐसी आपकी कोई योजना है या इसका आपके पास **कोई** ब्यौरा है? एक और बात है कि जो टैस्टिंग वाले हैं, इनके बारे में आपने बताया है कि इनकी संख्या सिर्फ 13 है और आपने अभी यह भी बताया है कि जो कारीगर वगैरह हैं, इनके ऊपर भी काफी मार पड़ रही है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि हॉलमार्किंग पर कितना शुल्क आता है और देश में अभी कितने ज्वैलर्स ऐसे हैं जो हॉलमार्किंग करा रहे हैं? इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और पूरक प्रश्न है कि अनेक विकासशील देश हॉलमार्किंग वाले गहने बेचते हैं, क्या हमारे देश में भी हॉलमार्किंग वाले गहने बेचने को अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव आपके पास है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, अप्रैल, 2000 से स्वच्छा हॉलमार्किंग स्कीम चलाई गई है और उसमें 581 लोगों ने स्वेच्छा से लाइसेंस लिए हैं। हमारे यहां 13 हॉलमार्किंग स्कीम चलाई गई है और उसमें 581 लोगों ने स्वेच्छा से लाइसेंस लिए हैं। हमारे यहां 13 हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं। एक सेंटर बनाने में तकरीबन 70 लाख रुपए लगते हैं। अभी तो यह स्वेच्छा से है। इसे अनिवार्य करने के बारे में मैंने आपके माध्यम से पहले ही निवेदन किया है कि यह बहुत बड़ा उद्योग है, इसमें बहुत लोग लगे हुए हैं। देश के अंदर एक व्यवस्था है जिसमें सदियों पुराना ऐसा सिस्टम है कि एक सुनार के घर से सदियों से, परंपरागत रुप से कई परिवारों के लोग सोना लेते थे, लेते हैं और विश्वास के साथ यह धंधा चलता है। निश्चित तौर पर इसे अनिवार्य करने के लिए हमने अपने सचिय की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के 13 सदस्य हैं। हमने उनसे निवेदन किया है कि सावधानीपूर्वक, phased manner में कैसे इसको लागू किया जाए जिससे धंधा और रोजगार भी न बिगड़े और एक ऐसा रास्ता बने जिससे शुद्ध और ठीक सोना लोगों को मिले, इस बारे में वे अपनी रिपोर्ट दो महीने में हमें दें। यह इंतजाम करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया है।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने कारीगरों की बात तो कही लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि करोड़ों लोग सोना खरीदते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी खरीदता है, हिंदुस्तान में जैसी व्यवस्था है और परंपरा है, माननीय मंत्री जी भी मानते हैं कि 800 टन सोने का कंजम्पशन हमारे यहां प्रतिवर्ष होता है चाहे हम विदेशों से मंगाते हों या अपने देश से खरीदते हों, ऐसी स्थिति में यह और भी अनिवार्य हो जाता है कि माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि करोड़ों लोग जो सोना खरीदते हैं, उनको सोने का दाम उतना ही देना पड़े, जितना सोना वास्तव में उन्होंने खरीदा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हॉलमार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य रुप से आप कब तक कर देंगे?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया है कि जो सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक इस धंधे में सर्राफ की दुकानें 3 लाख हैं लेकिन BIS और हमारे विभाग का मानना है कि अगर गांवों तक देखा जाए तो करीब 7 लाख सर्राफ की दुकानें हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। 7 लाख तो सिर्फ सर्राफ की दुकानें हैं। उसके साथ-साथ उसमें कारीगर लोग लगे हुए हैं। यह एक बड़ा उद्योग और बड़ा व्यापार है जिसमें कारीगरों के पास काम है। दूसरे कारीगर चाहे वह कुम्हार हो, चाहे बढ़ई हो, सब जगह लोग बेकार और बेरोजगार हुए हैं। अकेला यही दस्तकारी का ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध है। उस रोजगार को देखकर और आपने जो भावना जाहिर की कि कैसे प्योर गोल्ड उन लोगों के हाथ में जाए, इसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी के सदस्यों का ब्योरा मैं दे सकता हूं कि उसमें किन-किन लोगों को रखा गया है। हमारे सचिव उसके चेयरमैन होंगे, इसके अलावा उसमेंDirector General, Bureau of Indian Standards, Representative of Reserve Bank of India, Representative of Ministry of Finance, Representative of Ministry of Commerce and Industry, Representative of Metal and Mineral Trading Corporation, Representative of India Government Mint, Bombay, Representative of Gems and Jeweliery Export Promotion Council भी हैं। इस तरह से 13 सदस्य हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस कमेटी का गठन हुआ है और वह इसी भावना से हुआ है कि किस तरह बड़े पैमाने पर 800 टन गोल्ड की खपत होती है, 600 टन तो अकेले गहनों के रुप में खरीदा जाता है, कैसे यह दुरुस्त मिले, ठीक मिले। इसे वह कमेटी देखेगी। इसके साथ देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है और रोजगार-धंधा भी जुड़ा हुआ है। इन सारी चीजों का ख्याल करके वह कमेटी विचार करेगी और हमारा विचार है कि धीरे-धीरे इसको पूरे देश में मुकम्मल तौर से हम कैसे लागू कर सकें, इसके लिए भी कमेटी इसे लागू करने की योजना बताएगी।

श्रीमती गुरचरण कौर: मान्यवर, इस धंधे से लाखों लोग जुड़े हुए हैं लेकिन यह परम्परा रही है कि आज दादा यदि किसी को गहने बनवाकर देता है तो पोता तक भी वापस करता है और उसी रेट पर करता है जितनी उसकी कॉस्ट लिखी होती है, उसी रेट पर वह गहने वापस कर लेता है।

जिस प्रकार से ये हॉलमार्किंग को अनिवार्य बना रहे हैं तो उससे हजारों लोग बेकार हो जाएंगे क्योंकि साधारण दुकानों में जो रहते हैं वे नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगी कि जो कमेटी बनाई है क्या उसमें किसी स्वर्णकार का भी नाम डाला है जिससे वह अपने विषय को अच्छी प्रकार से समझा सके?

श्री शरद योदव: सभापति महोदय, इस कमेटी में सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी रखा गया है और मैंने पहले ही निवेदन किया कि रिप्रजेंटेटिव आफ ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के एक सदस्य को भी इसमें रखा गया है। रहा सवाल जो आपने कहा है, तो निश्चित तौर पर यह हमारे ख्याल में है जैसा मैंने आपके माध्यम से अभी बताया कि इसमें सब तरह का बहुत कंपलीकेटेड, उलझा हुआ मामला है और बहुत सोच समझ कर इसमें कदम उठाने की जरुरत है और इसलिए इस कमेटी को इन- डेप्थ स्टडी के लिए दिया है। सब तरह के और मिनस्ट्री के लोगों को लेकर के यह कमेटी बनाई गई है। जो माननीय सदस्यों से यह धंधा है इसको बगैर नुकसान पहुंचाए कैसे इसको दुरुस्त किया जा सकता है, इस तरह का रास्ता पकड़ेंगे।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: मान्यवर, यह तो समझ में आ रहा है कि पूरे भारत में कुछ मानक रखने वाले **द्फ़तर** खोले जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा और वह कम्पलसरी फिर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक प्रावधान कर दें कि जिससे खरीदते हैं उससे रसीद लें और रसीद पेश करने पर जिस दाम पर खरीदा गया है- मार्केट के रेट पर चेंज आने के अनुसार उसमें चेंज ला सकते हैं- लेकिन उसी दाम पर वह वापिस ले लेगा। अगर इतना प्रावधान कर दें तो हर सुनार अपना सही माल देगा?

श्री शरद यादव: सभापति, जो कमेटी गठित हुई है वह दो महीने अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसमें इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। जहां तक रसीद की बात है, मैं आपके माध्यम से सिंहल जी से निवेदन करुंगा कि पूरे देश में कंज्यूमर कोर्ट हैं, फोर्म हैं और यही नहीं उपभोक्ता किसी भी तरह की चीज लेता है ओर उसके पास रसीद है कि वह इतने दाम की है तो वह कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। वह प्रावधान अलग है। उस प्रावधान के तहत आज भी कंज्यूमर कोर्ट में जा करके बाकायदा रसीदें...(**व्यवधान**)

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: कोर्ट में जाने का रास्ता तो लम्बा है।

श्री शरद योदव: नहीं, लम्बा नहीं है, उसे भी 90 दिन कर दिया है। अभी अमेंडमेंट हुआ है पिछले सेशन में। उसमें 90 दिन के भीतर फैसला देना पड़ेगा।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: 90 दिन तो लगेंगे न। आदमी कहां तक दौड़ेगा? अगर उसको अनिवार्य कर दें कि उसी दाम पर वापिस करना है उतना ही काफी होगा।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैंने कहा कि वह मामला बहुत ही उलझा हुआ है। इसमें बहुत आसान रास्ता नहीं है इसलिए इस कमेटी का गठन किया गया है।

प्रो. रामगोपाल यादव: श्रीमान पिछने कई वर्षों से नई तकनीकी के नाम पर हर क्षेत्र में लगभग ऐसी पंरिस्थिति पैदा हई है कि जो परम्परागत तरीके से काम करने वाले लोग थे छोटे-छोटे उद्योगों में, वे सब बेकार हो गए हैं। नई तकनीकी के नाम पर और जो पश्चिमी देशों का असर है उसकी वजह से इस देश के करोड़ों लोग बेकार हो गए हैं। अभी हमारी बहन जी ने प्रश्न करते हुए जिधर इशारा किया था, वह बिल्कुल सही है कि जिस दिन आप यह हॉलमार्किंग कम्पलसरी कर देंगे तो लाखों लोग जो गांवों, कस्बों और छोटी-छोटी जगहों पर काम कर रहे हैं, सुनार लोग, वे सब बेकार हो जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि जो बड़ी-बड़ी कुछ कम्पनीज हैं जो टेलीविजन वगैरह के माध्यम से अपना प्रचार करती हैं वैसे ही अपना व्यापार और धंधा बड़े पैमाने पर कर रही हैं- जैसे, कनिश्का है, फलाना-फलाना ज्वैलर्स हैं। इनका मुकाबला छोटे लोग तो वैसे ही नहीं कर सकते। अगर यह और कर दिया तो ये सब लोग जो गांवों तक हैं बेकार हो जाएंगे क्योंकि अभी कोई ऐसा घर नहीं है, जहां हर परिवार में चाहे गरीब से गरीब है जब शादी होती है वह भी गहने बनवाने न जाता हो। यह परम्परा है कि जो सुनार गहने बनाता है अगर उसके यहां पर वापस करेगा तो उसमें कोई कटौती नहीं होगी, नियमानुसार जितनी कटौती होती है, वही होगी। जिस दिन हॉलमार्किंग हो जायेगी उसके बाद कोई इंतजाम नहीं होगा, उनकी रोजी को सुरक्षित रखने का। फिर से इन्सपैक्टर राज जैसी सिथित हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप हॉलमार्किंग सम्पलसरी करने जा रहे है तो छोटी-छोटी जगहों, पर, कस्बों में, गांव तक में अभी भी लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनके व्यवसाय को और उससे जुड़े हुए लोगों के रोजगार को सुरक्षित रखने के क्या उपाय करेंगे?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैंने पहले निवेदन किया था और माननीय रामगोपाल जी जो कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। अभी भी जो हॉलमार्किंग है वह स्वेच्छा से है। आपने इन्सपैक्टर राज की बात कही है, एक केस भी नहीं हुआ है, हमने एक केस भी पकड़ा नहीं है, सजा नहीं दी है। हां, लाइसेंस केसिल करने का काम है और जो पांच महानगर हैं, उनमें ही यह व्यवस्था है। सभापति जी, मैं मानता हूं और मैंने पहले भी आपसे **निवेदन** किया था कि यह देश दस्तकारों का देश है। बड़े पैमाने पर बेकारी और बेरोजगारी हाथ के कारीगरों की हुई है। चाहे **वह** कपड़े का बुनकर हो, चाहे वह और किसी का दस्तकार हो, लेकिन अकेला यही क्षेत्र है जिसके कारीगर कम बेकार और बेरोजगार हुए हैं। लाखों लोग हैं, लाखों सर्राफ हैं, इनके उद्योग का ख्याल करके कोई भी चीज बनायेंगे, यह हमने कह दिया है। हमारा इरादा फास्ट जाने का नहीं है, बहुत तेजी से जाने का नहीं है, धीरे-धीरे कदम उठाकर **इसको** करना है। लोगों को चीज ठीक मिले, इसके लिए प्रयास करना है। जो आपने दूर तक का सवाल किया है, उसका तो सवाल ही नहीं है। अभी तो बड़ी जगह

और उसके कैसे उत्पादन से जोड़ दें कि बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा बेचने वाले लोग हैं, उन लोगों पर ही लागू हो । जो आपने आशांका व्यक्त की हा, उसका बाकायदा ख्याल है और हमारा इस तरह का कोई काम करने का इरादा नहीं है, मंशा नहीं है।

श्री बालवीर के.पुंज: माननीय सभापति, 40 साल तक हमारे यहां सोने की 500 टन प्रति वर्ष के हिसाब से खपत होती रही। सोने का जो स्थानीय उत्पादन था वह कोलार की सोने की जो एक मात्र खान थी उससे मुश्किल से आधा टन निकलता था। 40 साल तक भारत में सोने का जो उपयोग हुआ वह सोना स्मगलिंग का था । बालाजी के यहां पर जो लोग सोना चढ़ाते थे वह स्मगलिंग का होता था । जो स्वर्णकार थे, वे ठीक तरीके से खरीद नहीं सकते थे, उचित माध्यम नहीं थे इसलिए न तो उसकी लेने की रसीद होती थी और न देने की रसीद होती थी। इस तरह से सोने के व्यापार में एक परम्परा बन गई कि सोने की गुपचुप तरीके से खरीदा और बेचा जाता है। और उसकी प्रोपर रसीद नहीं दी जाती है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या मंत्री जी जब नया प्रावधान करेंगे, तो उसमें कुछ इस तरह की व्यवस्था करेगें कि जो रसीद दी जाये उसका कोई प्रोफार्मा हो कि इसमें जेवर का वजन कितना है, उसकी बनवाई कितनी है, इसमें टांका कितना लगा हुआ है, उसमें शुद्ध सोने का वज़न कितना है? ज्यादातर समस्या यह होती है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो एक दाम होता है औऱ जब बेचने जाते हैं तो उपभोक्ता को बताया जाता है कि आपके सोने में से इतना वज़न टांके में चला गया, इतना वज़न बनवाई में चला गया और उसे आधे दाम मिलते हैं। क्या आप इस तरह से रसीद का एक निश्चित प्रावधान कर सकते हैं कि जो गोल्ड ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मेंडेटरी हो कि वह रसीद उपभोक्ता को दें जिसमें जेवर का वज़न अलग, टांके का वज़न अलग, बनवाई का रेट अलग और सोने का रेट अलग हो, ये सब चींजें रसीद में हो तो इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है?

श्री शरद यादव: आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं , ये सारी काम्पलीकेशन्स इस ट्रेड में हैं। इन्हीं काम्पलीकेशन्स को ध्यान में रखते हूए, जो सोने में मिलावट है उसको कैसे दुर किया जाए, **वैसे** अभी भी प्रावधान हैं जो बलबीर पुंज जी ने कहा, वे प्रावधान है, लेकिन स्वेच्छिक हैं...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर के. पूंज: सर रसीद में क्या वस्तु हैं यह सब जानकारी दी जाती है। लेकिन रसीद में पुरी जानकारी नहीं दी जाती है।

श्री शरद यादव: जो लाइसेंस वाला है, जिसने लाइसेंस लिया हुआ है. उसको सोने के मामले में यह बताना पड़ेगा कि उसमें कितने कैरेट का सोना है और उसका क्या दाम है। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर के.पुंज: महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मान लीजिए मैने 20 ग्राम की चुड़ियां खरीदी तो उन 20 ग्राम की चुड़ियों में यह व्यवस्था हो कि इसमें इतने ग्राम सोना है, इतने ग्राम टांका है, बनवाई इतनी है टांके का दाम इतना है और पत्थर का दाम इतना है । यह सारा ब्रेक-अप देना मेनडेटरी होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें अभी नहीं है।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय. जो कमेटी हमने बनाई है, वह इस धंधे में इन सारे कॉम्पलीकेशन को देखते हुए ही बनायी गयी है औऱ उसमें इस सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा।

श्रीमती गुरुचरण कौर: सभापति महोदय. जो स्वर्णकार गहने बनवाकर देते हैं और जिनके पास लाइसेंस होता है. उन्होंने लिखा होता है कि इतना शुद्ध सोना है, इतना ताम्बा डाला हुआ है तथा इतना टांका लगा हुआ है और जब भी वह सोना वापिस करेंगे तो इतना काटकर दें देंग। जो ताम्बा है उसे मुफ्त में दिया जाता है और मुफ्त में वापिस लिया जाता है। उससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। किन्तु एक बात की व्यवस्था जरुर करनी चाहिए और वह यह है कि जो पत्थर या नग वगैरह डाले जाते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता। उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी चीजों के बारे में तो रसीद में सब कुछ लिखा जाता है। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं।

श्री शरद यादव: मैंने तो पहले ही माना कि इस सोने के व्यापार में कई तरह की गडबड़िया है। इसमें **एक** तरह की दिक्कत नहीं है, कई दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों को देखकर ही पहले अप्रैल 2000 में कदम उठाया गया था जिसमें स्वैच्छिक तरीके से हालमार्किंग रखी गयी थी।अब उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इस ट्रेड में और कौन-कौन सी खमियां हैं, उन सबका ख्याल करके इस कमेटी का गठन किया गया है। माननीय सदस्या से में आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि इस कमेटी में वे अपने सुझाव विस्तारपुर्वक दे सकती हैं। उसमें इस सारी बातों का अध्ययन करके आगे बढ़ा जाएगा।

SHRI P.G. NARAYANAN: Mr. Chairman, Sir, even after the hallmarking scheme, the purity of gold ornaments is not being ensured in all the places and cheating is still going on. Do you have any mechanism to check the malpractices and to ensure the purity of gold ornaments in remote villages?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हुं कि अभी इस संबंध में देशव्यापी इंतज़ाम नहीं है। केवल बड़े-बड़े शहरों में हालमार्किंग की व्यवस्था है और वह भी स्वैच्छिक है। पूरे देश भर में इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्या-क्या किया जाए, इस संबंध में अभी माननीय सदस्यों ने भी सवाल उठाए हैं। उस सवालों को देखकर **आप** समझ सकते हैं कि इसमें

किस तरह की दिक्कते हैं। देश भर में इसे लागू करने में कई तरह की कठिनाइयां हैं। यह इतना बड़ा ट्रेड है इसमें इतना अधिक इम्पालयमेंट हैं, इतने अधिक लोग इसमें लगे हुए हैं, उन सबका ख्याल रखना होगा। क्योंकि हम उन्हें कोई नया रोज़गार तो दे नहीं पा रहे हैं इसलिए जो इसमें लगे हुए लोग हैं, उनको भी देखना है। इसके अतिरिक्त गोल्ड कीप्योरिटी के संबंध में एक सिस्टम इस देश में सदियो से चल रहा है । मैं यह मानता हूं कि गांव में कई ऐसे सर्राफ हैं जो परिवार के सर्राफ होते हैं, जिन पर उन्हें विश्वास होता है तथा उन्हें मालूम होता है कि कौन सा सर्राफ ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। हिन्दुस्तान में कचौड़ी कहां अच्छी मिलेगी. नमकीन कहां मिलेगी,मिठाई कहां मिलेगी. सोना कहां अच्छा मिलेगा.यह सब उन लोगों को मालूम होता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि पुरे व्यापार में गड़वड़ी है। व्यापार में अगर गड़बड़ी होती है तो लोगों को मालूम होता है कि हमें इस आदमी से सोना नहीं लेना है और अच्छे सर्राफ का भी उन्हें मालूम होता है सभापति जी, आप तो जानते हैं कि आप जिस इलाके में रहते हैं, वहां भी लोगों को मालूम होता है कि कौन सा सुनार ठीक है और कौन सा सुनार ज्यादा मिलावट करता है।

श्री सभापति: फिर तो सरकार को भी पता होगा।

श्री शरद यादव: मै मानता हूं कि इस ट्रेड मैं कई गड़बड़ियां है लेकिन जो लोग सदियों से इस ट्रेड में लगे हैं, उनको मालूम है कि कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है। हां. उसे कैसे व्यवस्थित किया जाए और कहीं इंस्पेक्टर राज फिर से न आ जाए तो लोगों के धंधे को बंद करा दे, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त हालमार्किंग के मामले में लोगों को प्योर सोना मिले इस संबंध में तथा व्यापार, रोज़गार, धंधे. इस सबको देखकर आगे बढ़ा जाएगा । पुरे देश में लागू करने का सवाल नहीं उठाता है। धीरे धीरे, शैनैः शनैः इसे कैसे ला सकते हैं, इस पर जरुर विचार किया जाएगा।

Telephone Directory for Delhi and Mumbai

* 342. SHRI DINESH TRIVEDI :†
SHRI P.K. MAHESHWARI:

WILL THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in spite of a large number of changes in telephone numbers in Mumbai, Delhi and all metros and the directive of the Hon'ble Supreme Court of India to make directories available to the telephone subscribers annually, the main telephone directories for Delhi and Mumbai have not been published since 1999 and 2000 respectively;

(b) what steps MTNL has taken to ensure that telephone directories are made available to the subscribers of Delhi and Mumbai in time on a regular basis; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Dinesh Trivedi.